उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 202 वीं
बैठक दिनांक 23 मई, 2008

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की 202वीं बैठक परिषद अध्यक्ष हरमिन्दर राज सिंह, की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें निम्न उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण उपस्थित रहे :–

1	श्री हरमिन्दर राज सिंह	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2	श्री मदन लाल बिन्द	गैर सरकारी।	उपाध्यक्ष
3	श्री अच्छे लाल निषाद	गैर सरकारी।	उपाध्यक्ष
4	श्री हीरा लाल कश्यप	गैर सरकारी।	उपाध्यक्ष
6	श्री अनिल सन्त	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
5	श्री मुकुल जोशी	उपनिदेशक प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य
7	श्री एन0 आर0 वर्मा	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0।	सदस्य
8	श्री यू0 के0 गुप्ता	वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य
9	श्री एस0 एन0 राम	मुख्य अभियंता, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद।	सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। इसके पश्चात परिषद बैठक संपन्न हुई जिसमें विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये।

मद सं0	विषय	निर्णय
202/1	परिषद की 201वीं बैठक दिनांक 26 मार्च, 2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
202/2	परिषद की 201वीं बैठक दिनांक 26 मार्च, 2008 की अनुपालन आख्या।	अनुपालन आख्या अवलोकित करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिये गये। 1. ओपेन स्पेस के भू उपयोग का स्पष्ट उल्लेख किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उपाध्यक्ष श्री अच्छे लाल निषाद द्वारा अवगत कराया गया कि बांदा योजना में एक काफी बड़ा भू भाग ओपेन स्पेस के रूप में छूटा हुआ है, जिसका उपयोग कम्यूनिटी सेन्टर आदि के रूप में किया जा सकता है। यह निर्देश दिये गये कि

			15 दिन के अन्दर परीक्षण कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा मा0 उपाध्यक्ष जी को स्थिति से अवगत कराया जाये। 2. Accounting system पर Power Point Presentation में निर्देश दिये गये कि Cash System of Accounting के साथ–साथ अन्तरिक प्रयोजन हेतु वर्तमान वर्ष में Mercantile (Accrual) system Of Accounting के अनुसार भी वार्षिक लेखे बनाये जाये ताकि Asset व Liablity की स्थिति स्पष्ट हो सके। 3. चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा टैक्स प्लानिंग इस प्रकार की जाये की टैक्स की देयता न्यूनतम रहे। अधिक आय सर्व साधारण के उपयोग हेतु facility,Public utility, Parks आदि पर बोर्ड के अनुमोदन उपरान्त व्यय की जा सकती है। 4. प्रदेश के अन्य जनपद जहाँ आवासीय समस्या है वहाँ के लिए भी आवासीय योजना प्रारम्भ की जाये। विशेष रूप से मा0 उपाध्यक्षों से प्राप्त सुझावों पर प्राथमिकता पर नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा कृत कार्यवाही से उन्हे अवगत करा दिया जाये। 5. विगत तीन वर्षो में अर्जित की गयी भूमि तथा आगामी 5 वर्षो की कार्य योजना का विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

अभियंत्रण अनुभाग

202/3	वास्तविक मूल्यांकन किए जाने के संबंध में।	अवलोकन करते हुए निर्देश दिये गये कि परिषद का उद्देश्य सस्ते व गुणवत्ता के भवन सर्व साधारण को उपलब्ध कराना है, अतः अनुचित लाभ अथवा Inefficiency की वजह से मूल्यों में वृद्धि नही होनी चाहिए। पारदर्शिता के आधार पर मूल्यांकन का चार्ट बनना चाहिए जिसमें हर मद पर होने वाला व्यय विवरण तथा गुणवत्ता का स्पेसिफिकेशन भी दिया जाना चाहिए। यह भी निर्देश दिये गये कि मूल्यांकन में मदवार जो भी व्यय प्राविधानित किये जाँय, वह वास्तविक रूप से सम्पादित किये जाँय तथा जनसामान्य की सूचना हेतु इसे नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाये, जिससे कि सर्वसाधारण को ज्ञात हो सके की भूमि का अधिगृहण किस दर पर किया गया है व विभिन्न मदों में क्या व्यय प्राविधानित है, साथ ही जनसामान्य को सम्पत्तियों के विक्रय मूल्य के आधार की स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सके।
202/4	नई योजनाओं की धारा–28/32 तैयार किए जाने हेतु विकास कार्यों की दरों की स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्ताव का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया गया कि मद संख्या–3 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।

भूमि अर्जन अनुभाग

202/5	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या–4, मथुरा के धारा–31(1) की स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि योजना में कोई अन्य हाईटेक टाउनशिप आदि की योजना ओवर लैप न कर रही हो।
202/6	मथुरा रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना हाथरस (महामाया नगर) के धारा–28 के प्रस्ताव की स्वीकृति के	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि योजना में कोई अन्य हाईटेक

	संबंध में।	टाउनशिप आदि की योजना ओवर लैप न कर रही हो।

प्रशासन अनुभाग

202/7	परिषद में कार्यरत वाहन चालकों को वर्ष में एक माह के मूल वेतन के बराबर मानदेय दिए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

संपत्ति प्रबंध अनुभाग

202/8	बॉदा योजना अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग भवन संख्या बी–41 के अतिरिक्त दण्ड ब्याज माफ करने के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि सभी प्रकार की सम्पत्तियों पर ओ0टी0एस0 की सुविधा दिये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।
202/9	श्रीमती गायत्री सेंगर को विकास नगर योजना, लखनऊ में आबंटित एस0एफ0एस0 भवन संख्या 13/1 की ब्याज/अतिरिक्त ब्याज की धनराशि के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि सभी प्रकार की सम्पत्तियों पर ओ0टी0एस0 की सुविधा दिये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

लेखा अनुभाग

202/10	परिषद कार्मिकों के वेतन से सी0पी0एफ0 अभिदान हेतु उनके मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ते को जोड़कर कटौती किए जाने के संबंध में।	सी0पी0एफ0 योजना का रजिस्ट्रेशन/अनुमोदन प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर कार्यालय से करा कर नियमों के अन्तर्गत 12–12 प्रतिशत की कटौती एवं अशंदान अनुमन्य करने की कार्यवाही का परीक्षण किया जाय।

प्रशासन अनुभाग

202/11	अधीक्षण अभियंता के पद पर स्थायी किए जाने के संबंध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
202/12	समानता के आधार पर श्री सोहन लाल, सहायक अभियंता (अनुसूचित जाति) की भॉति अनुसूचित जाति के अन्य अवर अभियंताओं की सहायक अभियंता के पद पर पूर्व तिथि से पदोन्नति पर विचार किए जाने के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि पूर्ण स्थिति से शासन को अवगत कराते हुए, 12 आरक्षित श्रेणी व 22 सामान्य श्रेणी के लिए अधिसंख्य पदो का प्रस्ताव शासन को भेजा जाये।
202/13	पेट्रोल की कीमतों में हुयी बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता बढ़ाए जाने विषयक।	प्रस्ताव स्थगित करते हुए निर्देश दिये गये कि अन्य विभागो में दी जा रही सुविधा तथा कार्मिक विभाग के आदेशो का परीक्षण

		कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
202/14	पाँच नग निष्प्रयोज्य वाहनों के विरुद्ध नए वाहन क्रय करने की स्वीकृति हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
202/15	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य विषय।	—

(शहाबुद्दीन मोहम्मद)
अपर आवास आयुक्त एवं सचिव

(अनिल संत)
आवास आयुक्त

अनुमोदित

(हरमिन्दर राज सिंह)
अध्यक्ष

पुष्टि की गयी
अध्यक्ष